

कार्यालय नज्जारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 9862/एडमिन (बी-1) रोकेशन दिनांकित 22.11.2019 के पत्र में वर्णित Circular Letter no. 797/ Admin. (B-1) Sec. Dated 15-03-1994 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश, दिनांक 03.12.2019 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्तिम त्रैमास के लिए जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद स्थित परिसर में टेका-फोटोग्राफी को नीलामी द्वारा उठाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13-12-2019 को 01:00 बजे तक प्रार्थना पत्र आगंत्रित किये जायें तथा समय सांय 04:00 बजे से केन्द्रीय सभागार, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में टेका-फोटोग्राफी की नीलामी की जायेगी।

1-टेका - फोटोग्राफी।

(बतौर अग्रिम धनराशि 15,000/-रु०)

नीलामी हेतु समय से पूर्व बोली बोलने से पूर्व बोलीदाताओ को टेके की बतौर अग्रिम धरोहर धनराशि नज्जारत अनुभाग, जजी, फिरोजाबाद में जमा करनी होगी, जो बोली स्वीकार होने पर टेके की राशि में-समायोजित हो जायेगी अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दी जायेगी। शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नज्जारत अनुभाग, के नोटिस बोर्ड पर या नज्जारत अनुभाग जजी, फिरोजाबाद से प्राप्त की जा सकती हैं।

(डा० के.एस. शर्मा)
सदस्य/टेका नीलामी समिति
अष्टम अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।


(जयसिंह पुण्डरीर)
सदस्य/टेका नीलामी समिति
तृतीय अपर जिला जज,
फिरोजाबाद।

प्रभारी अध्यक्ष/टेका नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एकट)
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।

- 1- माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 2- जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- समाचार-पत्र "शिकोहाबाद समाज"।
- 4- दैनिक स्थानीय समाचार-पत्र, "समय भास्कर"।
- 5- जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
- 6- विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर।
- 7- कलैक्ट्रेट फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
- 8- तहसील, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
- 9- जिला पंचायत, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
- 10- नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
- 11- नगर निगम, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
- 12- बस स्टैण्ड व रेलवे स्टेशन पर चरपा करने हेतु।

Seen, Approved.


District Judge,
Firozabad. 04/12/19
DISTRICT JUDGE
FIROZABAD